नि/निग0/रीवा/2018/01642 61

न्यायालय श्री मान् अध्यक्ष / सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

लालमणि त्रिपाठी तनय रामगोपाल त्रिपाठी उम्र 80 साल निवासी ग्राम उमरी तहसील सिरमौर जिला रीवाम0प्र0 ... निगरानी कर्ता

बनाम

1- मु0 बेवा गुलाबवती पति रामानुज ब्रा0

2- नितेश कुमार पिता रामानुज ब्रा0

3- निवेश कुमार पिता रामानुज ब्रा0

4- आशुतोष कुमार पिता रामानुज ब्रा0

सभी निवासी ग्राम शाहपुर तहसील सिरमौर /सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 ... गैर निगरानीकर्ता गण

श्री नागेन्द्रमणि त्रिपाठी अधिवक्ता / 09.3.18

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्री मान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवाप्रकरण क्रमांक - 819/अपील/17-18 आदेश दिनांक 22.2.18 लालमणि बनाम बेवा गुलाबवती

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है

1- यह कि दोनो अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित आदेश दिनांक क्रमशः

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(62)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निग/रीवा/भूरा/18/1642 **लालमणि / मु.गुलाबकली**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-06-18	आवेदक की ओर से श्री नागेन्द्रमणि त्रिपाठी अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें कायमी पर सुना गया। उनके द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 22-01-18 में उल्लिखित है कि अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि पर भूमि क्रय करके काबिज दाखिल है अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को खारिज किया गया है अपर आयुक्त ने भी इसी बिन्दु पर सुनवाई करते हुए प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं पाये जाने से अपील ग्राहयता के बिन्दु पर खारिज की है। अतः आलोच्य आदेश मे किसी प्रकार की अवैधानिकता एवं अनियमितता प्रतीत नहीं होती है फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं हाने से इसी स्तर पर अग्राहय की जाती है। 21/6/18 सदस्य	